(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.— 159 / 2023 **जीसीएमएस नम्बर :— 2023 / 601**

1. रामकिशन पुत्र धर्मपाल उम्र 54 वर्ष जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. वेदप्रकाश पुत्र धर्मपाल उम्र 50 वर्ष जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

................वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र रूपचन्द उम्र 70 वर्ष जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
2. खुशी पुत्री स्व0 संजय जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. धर्मा पत्नी स्व0 ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. पियुष पुत्र स्व0 संजय जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. माया पत्नी स्व0 संजय जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. वर्षा पुत्री स्व0 संजय जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. सुशीला पुत्री स्व0 ओमप्रकाश जाति जाट निवासी रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. बडोदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखा कुहाड़वास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

.....प्रतिववादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत— घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ति।

<u>—:निर्णयः—</u> **दिनांकः—** 15/07/24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 154 रकबा 4.18 हैक्टर, ख0 न0 193 / 154 रकबा 0.43 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 4.61 हैक्टर में वादीगण का 1 / 2 [illegible] 1 / 2 हिस्सा था जिसका नामन्तकरण संख्या 67 के जरिए परस्पर स[illegible]वाया था जिसमें ख0 न0 154 / 1 रकबा 2.03 हैक्टर एवं ख0 न0 193 / 154 / 1 [illegible] 0.28 हैक्टर किता 2 रकबा 2.31 हैक्टर वादीगण के हिस्से में [illegible] हिस्सा ख0 न0 154 में [illegible]की तरफ था एवं ख0 न0 193 / 154 का भी उतरी [illegible]स्सा वादीगण के पास [illegible] ख0 न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

193 / 154 / 1 जो विभाजन में वादीगण को दिया गया था वह उतरी भाग था जिसका रकबा 0.28 हैक्टर हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 को ख0 न0 193 / 154 / 2 एवं 154 / 2 दिया था मौके पर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा दक्षिण की तरफ हैं अर्थात ख0 न0 193 / 154 का उतर की तरफ का 0.28 हैक्टर रकबा ख0 न0 193 / 154 / 1 के रूप में वादीगण का था ख0 न0 193 / 154 का दक्षिणी तरफ का 0.15 हैक्टर रकबा ख0 न0 193 / 154 / 2 के रूप में वादीगण संख्या 1 का था इसी अनुसार वे आज भी मौके पर काबिज कास्त हैं इस सम्बन्ध में नामान्तरण संख्या 67 दर्ज किया गया था विभाजन हेतु किये गये आवेदन के साथ सलग्न नक्शा के अनुसार भी उतरी तरफ का भाग वादीगण का एवं दक्षिणी तरफ का भाग प्रतिवादी संख्या 1 का था इसके बाद जब ख0 न0 193 / 154 / 1 को ख0 न0 193 / 154 दर्ज किया गया एवं ख0 न0 193 / 154 / 2 को ख0 न0 194 / 154 दर्ज किया गया तो इसे नक्शे में गलत दर्शा दिया एवं ख0 न0 193 / 154 की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम दर्ज कर दी गई एवं ख0 न0 194 / 154 कि खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई जबकि वर्तमान खसरा नम्बर 194 / 154 के खातेदार प्रतिवादी संख्या संख्या 1 को दर्ज करना चाहिए था इसी प्रकार राजस्व कर्मचारीयों द्वारा नई जमाबन्दी बनाई गई उसमें भूल व लापरवाही से ख0 न0 193 / 154 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम एवं ख0 न0 194 / 154 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर दी गई इसलिए वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं।

2. यह कि अविभाजित खसरा नम्बर 75 का रकबा 1.45 हैक्टर जिसका विभाजन नामान्तकरण संख्या 72 के द्वारा किया गया जिसमें ख0 न0 75 / 1 रकबा 0.36 हैक्टर वादी ने एवं उनकी माता एवं बहिनों के हिस्से में आया जिन्होनें अपना हक वादीगण के हक में त्याग कर देने से ख0 न0 75 / 1 वादीगण की खातेदारी में दर्ज हो गया तथा ख0 न0 75 / 2 रकबा 0.73 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हुआ तथा ख0 न0 75 / 3 रकबा 0.36 हैक्टर में प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के नाम खातेदारी दर्ज हुआ तथा इस संबंध में ख0 न0 75 का पश्चिमी भाग 0.36 हैक्टर में वादीगण के हिस्से में एवं मध्य भाग प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में व ख0 न0 75 का पूर्वी भाग प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के हिस्से में आया जिसका नजरी नक्शा वाद पत्र के साथ पेश हैं। ख0 न0 75 के उत्तर में आम सड़क जो रामबास से ढाणी सम्पत सिंह को जाति हैं वह स्थित हैं तथा ख0 न0 75 की दक्षिणी परिचमी सीमा में से सड़क बन चुकी हैं जो बुहाना से सतनाली को जाति है ख0 न0 75 का पश्चिमी हिस्सा पर वादीगण काबिज हैं एवं उतरी तरफ सड़क के पास अपनी भूमि में चार पुख्ता दुकाने भी बना रखी हैं एवं काबिज हैं। उसके बाद जब इस विभाजन का नामान्तकरण हुआ एवं जब इसको नक्शे में तरमीम किया गया तो भूल से वादीगण के हिस्से को केवल दक्षिणी पश्चिमी कोने पर दर्शा दिया गया जबकि वादीगण का हिस्सा उतर में आम सड़क से लेकर दक्षिणी तक हैं जिसका नजरी नक्शा साथ पेश किया जा रहा है इस प्रकार ख0 न0 75 / 1, ख0 न0 75 / 2, व ख0 न0 75 / 3 का नक्शा राजस्व कर्मचारियों ने गलत बना दिया बाद में ख0 न0 75 / 1 को केवल ख0 न0 75 दर्ज किया गया तथा ख0 न0 75 / 2 को ख0 न0 229 / 75 एवं ख0 न0 75 / 3 को ख0 न0 2[illegible] / 75 दर्ज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

3. यह कि राजस्व कर्मचारीयों की भूल एवं लापरवाही से बने नये खसरा नम्बर 75 एवं 229 / 75 व 230 / 75 का नक्शा गलत बना दिया हैं जिसको वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं एवं उक्त नक्शा पुनः बनाये जाने योग्य हैं।
4. यह कि वादीगण की भूमि ख0 न0 193 / 154 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होने एवं वादीगण की भूमि ख0 न0 75 का नक्शा गलत बनाये जाने से प्रतिवादीगण वादीगण को उनके हिस्से की भूमि की सीमा की सीमाओं को लेकर विवाद करते हैं तथा वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग— उपभोग में बाधा कारित करना चाहते हैं एवं जब वादीगण ने उक्त भूमि का रिकार्ड व नक्शा दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे टाल मटोल करने लगे जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।
5. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि ख0 न0 193 / 154 वादीगण की भूमि होने के बावजूद इसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कर देने एवं ख0 न0 194 / 154 प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि होने एवं उसकी खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज कर देने तथा ख0 न0 75 से बने वर्तमान ख0 न0 75 एवं 229 / 75 व 230 / 75 का नक्शा गलत बना देने से एवं प्रतिवादीगण के द्वारा उसे दुरूस्त करने में टाल मटोल करने से पैदा हुआ हैं अतःदावा अन्दर मियाद हैं।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः—

(क). कि वाके ग्राम रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 193 / 154 का वादीगण को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ख0 न0 194 / 154 दर्ज किया जाकर वादीगण की भूमि ख0 न0 751 रकबा 0.36 हैक्टर का नक्शा पुनः बनाया जाकर नजरी नक्शा के अनुसार ख0 न0 75 ख0 न0 229 / 75, ख0 न0 230 / 75 का नक्शा पुनः बनाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने कि कृपा करे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने कि कृपा करें।

(ख). कि दावा वादी विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो अयाचित रह गया हो जिसे माननीय न्यायालय हाजा उचित समझे वादी को दिलवाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 9 लैण्ड होल्डर होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रति0 सं0 2 लगा0 7 की ओर से श्री सुरेन्द्र नाडिया एड़ द्वारा वकालतनामा व इकबालिया जवाब दिनांक 25.04.2024 को पेश किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री विकास एड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 1 की और से श्री प्रविन्द्रसिंह एड़ द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। जवाब हेतु अवसर चाहा गया। जवाब दिनांक 20.06.2024 को पेश कि[illegible] व तहसीलदार बुहाना को मौका रिपोर्ट हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 627 [illegible] 2023 के द्वारा पत्र भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के [illegible] 12.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई शामिल पत्रावली किया गया। किसी ने कोई एतराज पेश नही किया।

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, दावा वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमांबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 नकल नक्शा किश्तवार पेश किए गए। वकिल वादी की बहस, तहसीलदार बुहाना की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2023 के आधार, प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 के इकबालिया जवाब के आधार पर आपसी सहमती के समय विभाजन अनुसार नक्शे के अनुसार संशोधन के आदेश किये जाते है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

—::आदेश::—

''न्यायालय वाद वादी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 193 / 154 का वादीगण संख्या 1 लगायत 2 को बराबर बराबर हिस्सा घोषित किया जाता है। रकबा 0.28 है0, ही दर्ज रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 को ख0 न0 194 / 154 का खातेदारघोषित किया जाता है रकबा 0.15 ही दर्ज रहेगा। साथ ही ख0 न0 751 रकबा 0.36 है0, का नक्शा, तहसीलदार बुहाना को मौका जांच हाल मौका अनुसार ख0 न0 75, ख0 न0 229 / 75, ख0 न0 230 / 75 का नक्शा पुनः बनाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते हे रहन यदि हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से ख0 न0 के विरूद्व दर्ज किया जावे। ''

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

निर्णय आज दिनांक 15/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–
हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 159 / 2023
जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 601

रामकिशन **बनाम** सुलतान आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ति .

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 7 की और से श्री सुरेन्द्र नाडिय एड. की प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री प्रविन्द्रसिंह एड. की उपस्थित व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में आज इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

''न्यायालय वाद वादी स्वीकार किया जाता है। अतः ग्राम रामबास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि ख0 न0 193 / 154 का वादीगण संख्या 1 लगायत 2 को बराबर बराबर हिस्सा घोषित किया जाता है। रकबा 0.28 है0, ही दर्ज रहेगा। प्रतिवादी संख्या 1 को ख0 न0 194 / 154 का खातेदारघोषित किया जाता है रकबा 0.15 ही दर्ज रहेगा। साथ ही ख0 न0 751 रकबा 0.36 है0, का नक्शा, तहसीलदार बुहाना को मौका जांच हाल मौका अनुसार ख0 न0 75, ख0 न0 229 / 75, ख0 न0 230 / 75 का नक्शा पुनः बनाया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश किये जाते हे रहन यदि हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से ख0 न0 के विरूद्व दर्ज किया जावे। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15/7/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एव
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:23 IST
Reason: SelfAttested